FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सारून** बनाम **एस.एच.ओ. रैणी (अलवर)**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/17/2025 दायर दिनांक 26.03.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2025	पत्रावली आज प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा केन्ट्रा नम्बर RJ-32-GD-1382 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना रैणी से अभिशंषा/ टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 982 दिनांक 20.04.2025 एवं 1215 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि वाहन चालक वारिस खां मुकदमा हाजा में अनुसंधान हेतु हाजिर नहीं आता है तो मुकदमा का निस्तारण किया जना असम्भव प्रतीत होता है। इसिलये प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी सारून खान को सुपुर्दगी दिया जाना न्याय हित में उचित नहीं है। हमने वकील अपीलांट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं थानाधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। पुलिस थाना द्वारा पेश रिपोर्ट में मात्र वाहन चालक वारिस खां के अनुसंधान हेतु हाजिर नहीं होने के कारण जप्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर नहीं दिये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्तशुदा वाहन का स्वामी प्रार्थी सारून खान है। जिसे आजीविका हेतु उक्त जप्तशुदा वाहन की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि सुपुर्दनामे पर दिये जाने वाले वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करने हेतु पांवद रहेगा। प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु पेश प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा	

जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी रैणी को जब्तशुदा वाहन टाटा केन्ट्रा नम्बर RJ-32-GD-1382 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
जिला–कलक्टर
अलवर (राज०)
अलवर